कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर में कार्य कर रहे अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वर्ष अत्यधिक गर्मी के कारण न्यायालय सुबह का होता रहा है। इस वर्ष भी ग्रीष्म–कालीन अवधि अर्थात मई, 2024 व जून, 2024 की अवधि में अधिवक्तागण एवं वादकारियों के हित में न्यायालय प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 2:00 तक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिवक्तागण के प्रार्थना–पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0 7356/मेन (वी) एडमिन इलाहाबाद दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर माह मई व जून 2024 में प्रातः कालीन कार्यालय का समय पूर्वाह्न 06:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक तथा न्यायालय का समय पूर्वाह्न 07:00 बजे अपराह्न 01:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। भोजनावकाश पूर्वाह्न 10:30 बजे से 11:00 बजे तक का होगा।

उक्त आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाये तथा जनपद गाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाये एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

(राहुल कुमार कात्यायन),
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
गाजीपुर।

पत्र सं0 55 **/मो0दु0दा0अधि0/दिनांक** 22 **अप्रैल 2024**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
4. अध्यक्ष/सचिव समस्त बार संघ, गाजीपुर।
5. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
6. पुलिस अधीक्षक गाजीपुर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर।
8. सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर सिविल कोर्ट गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. केन्द्रीय नाजिर, जनपद गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

22/4/2024

(राहुल कुमार कात्यायन),
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
गाजीपुर।

Scanned with ACE Scanner